

न्यायालय माननीय राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.  
PBR/किरमी/देवास/भू.सं./2017/4260

प्र.क्र...../2017

(1) हरीओम पिता चन्दरपुरी जाति बाबाजी उम्र 35 साल धंधा खेती निवासी ग्राम धुतखेडा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

(2) चन्दरपुरी पिता सिद्धपुरी जाति बाबाजी उम्र 60 साल धंधा खेती निवासी ग्राम धुतखेडा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

तेजसिंह पिता नाहरसिंह जाति कुशवाह उम्र 40 साल धंधा खेती निवासी ग्राम धुतखेडा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थी

रिवीजन आधिन धारा 50 भू.सं. विरुद्ध श्रीमान तहसीलदार महोदय, टोंकखुर्द द्वारा प्रकरण क्रमांक 10अ13/2016-17 में धारा 32 भू.सं. के तहत पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27/09/2017

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से रिवीजन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी ग्राम धुतखेडा के निवासी होकर उनकी जमीन पास-पास में लगी है।

(2) यह कि प्रार्थीगण ने यह भूमि 20 वर्ष पहले भेरुसिंह पटेल से खरीदी थी तभी से उनकी भूमि में से प्रतिप्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है।

(3) यह कि प्रतिप्रार्थी ने तहसील न्यायालय में धारा 131 भू.सं. के तहत यह वाद प्रस्तुत किया कि दिनांक 26/06/2017 को जब प्रतिप्रार्थी सर्वे नं. 62/2 के रास्ते से जा रहा था तो उससे सर्वे नं. 62/3 की भूमि में दक्षिण-पश्चिम कोने पर प्रार्थीगण ने जाने से रोक दिया और कहा कि तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है व प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 131 सहपठित धारा 32 भू.सं. के तहत वाद लगाया प्रार्थीगण ने विधिवत

श्री विरुद्ध महोदय  
प्रति-द्वारा कार्य उद्देश्य  
श्री गुरुत  
25-10-17


814

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2017/4260

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	